

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा**

श्री अम्बा पुत्र श्री छोगा बैरवा निवासी थोरिया खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 118/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2017	<p>प्रकरण पंजीबद्ध करे विपक्षी के सम्मन जारी करे रेकार्ड तलब कर सुनवायी हेतु दिनांक 30/10/2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अति० <sup>१६</sup> जिला कलक्टर भीलवाड़ा</p> <p>३०-१०-२०१७ पत्रावली पेश हुई। तदनुसार पत्रावली पौडासीन अधिकारी को <del>अन्य कार्य</del> है। अतः पत्रावली आवेदन कार्यवाही के लिए दिनांक ३०-१०-२०१७ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आदेश से</p> <p>३१-१०-२०१७</p> <p>पत्रावली के <del>द्वारा</del> उभयपक्षकारण उपस्थित मुख्य अफसर प्रकरण निबन्धित हो चुकी है। इस प्रकरण से कोई कार्यवाही बंद नही रहती है। प्रकरण से कार्यवाही शीघ्र की जाती है। प्रकरण नम्बर से काम करे</p> <p style="text-align: right;">३१/१०/१७ अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)</p>	